न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 66 / 2025 दायर दिनांकः 17.07.2025

उनवान

1. भगवतीबाई आयु 52 वर्ष पुत्री लटूरलाल जाति धाकड निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :–

प्रार्थिया :–विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा

निर्णय दिनाकः 24.07.2025

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मोठपुर पटवार क्षेत्र मोठपुर तहसील अटरू की खाता संख्या 673 के ख0नं0 328 रकबा 0.20 है०, ख0नं0 329 / 2603 रकबा 0.52 है0, ख0नं0 538 / 2439 रकबा 0.12 है०, ख0नं0 573 रकबा 1.65 है०, ख0नं0 575 रकबा 0.97 है०, ख0नं0 791 / 2602 रकबा 0.11 है0 कुल किता 6 का रकबा 3.57 है० आराजी प्रार्थिया के शामलाती खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थिया का गलत नाम मन्जुबाई पुत्री लटूर दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मे प्रार्थिया का नाम मन्जूबाई पुत्री लटूर दर्ज है जो प्रार्थिया का गलत नाम हैं जबकि प्रार्थिया का सही नाम भगवतीबाई पुत्री लटूरलाल हैं। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, तथा अन्य दस्तावेजो मे प्रार्थिया का नाम भगवतीबाई पुत्री लटूरलाल है। इसलिए प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन्न हैं। प्रार्थिया का राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन्न भिन्न नाम होने से प्रार्थी को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि विकास कार्य करवाने में कई प्रकार की समस्याओ का सामना करना पडता है। अस्तु प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम मन्जूबाई पुत्री लटूर के स्थान पर

भगवतीबाई पुत्री लटूरलाल दर्ज करवाने की अधिकारी है। जिसे बिना न्यायलय की सहायता के नही करवाया जा सकता। अस्तु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण प्रथम बार दिनांक 20.06.2025 को प्रार्थिया द्वारा प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधी योजना के आवेदन करने पर जमाबन्दी में गलत नाम दर्ज से आवेदन खारिज पर तथा प्रार्थिया द्वारा कई बार अप्रार्थी से नाम दुरूशत करने का निवेदन के बावजूद भी नही करने पर अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम मन्जूबाई पुत्री लटूर के स्थान पर भगवतीबाई पुत्री लटूरलाल दुरूस्त करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 भगवती बाई पुत्री लटूरलाल जाति धाकड निवासी मोठपुर तहसील अटरू व Pw2 गिरिराज प्रसाद पुत्र लटूरलाल जाति धाकड निवासी मोठपुर तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थिया की बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मोठपुर सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 673, प्रशासक ग्राम पंचायत मोठपुर प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड व शपथ पत्र गवाहान का अवलोकन किया गया।

नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मोठपुर पटवार हल्का मोठपुर सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 673 में सहखातेदार प्रार्थीया के सगे भाई गिरिराज प्रसाद पुत्र लटूर ने भी मन्जुबाई का नाम भगवती बाई होना स्वीकार किया है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्यप्रार्थी के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल मोठपुर पटवार हल्का मोठपुर तहसील अटरू की खाता संख्या 673 के ख0नं0 328 रकबा 0.20 है०, ख0नं0 329/2603 रकबा 0.52 है0, ख0नं0 538/2439 रकबा 0.12 है०, ख0नं0 573 रकबा 1.65

है०, ख0नं0 575 रकबा 0.97 है० व ख0नं0 791/2602 रकबा 0.11 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 3.57 है० आराजी में सह खातेदार मन्जुबाई पुत्री लटूर के स्थान पर भगवती बाई उर्फ मन्जुबाई पुत्री लटूरलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल मोठपुर पटवार हल्का मोठपुर तहसील अटरू की खाता संख्या 673 के ख0नं0 328 रकबा 0.20 है०, ख0नं0 329/2603 रकबा 0.52 है0, ख0नं0 538/2439 रकबा 0.12 है०, ख0नं0 573 रकबा 1.65 है०, ख0नं0 575 रकबा 0.97 है० व ख0नं0 791/2602 रकबा 0.11 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 3.57 है० आराजी में सहखातेदार मन्जुबाई पुत्री लटूर के स्थान पर भगवती बाई उर्फ मन्जुबाई पुत्री लटूरलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई को भिजवायी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां